तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में ...
20/10/23	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 31.10.23 को पेश हो ।	
31/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरें/ अवकाश/अन्य चुनाव राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 6.12.23 को पेश हो।	
6.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 20.12.23 को पेश हो।	
20/12/23	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 9.1.24 को पेश हो ।	
9-1-24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० ही बहस प्रा० पत्र T.I. हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11-1-24 को पेश हो।	
11.1.24	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 31.1.24 को पेश हो ।	
31.1.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस [illegible] T.I. सुनी गई बहस [illegible] ने अपने प्रा० पत्र मे [illegible] को दोहराया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा० पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

...त्र हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रा०पत्र रिसीवर हेतु पेश हो जाने से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा०पत्र पृथक् से निर्णित किये जाने की आवश्यकता नही रह जाती है। अत: प्रा०पत्र संख्या 148/2021 वास्ते रिसीवर नियुक्त करने बाबत में सुनी गई बहस को ही इस प्रा०पत्र की बहस माना जाकर तदनुसार निर्णित किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने भी रिसीवर प्रा०पत्र की बहस के अनुसार ही इस प्रा० पत्र को निर्णित किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। रिसीवर नियुक्ति बाबत प्रा०पत्र 148/2021 के अनुसार प्रकरण में मंदिर की सेवा पूजा एवं सम्पत्ति की सार- संभाल धाकड़ समाज गुढादेवजी द्वारा किया जाना प्रकट हुआ है, जिसमें मंदिर ~~मंदिर~~ की सेवा- पूजा एवं भूमि तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के खतरे या विरूपण अथवा हस्तान्तरण करने का कोई तथ्य साबित नही होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। मंदिर की सेवा पूजा एवं रखरखाव के सभी कार्य धाकड़ समाज ग्राम गुढादेवजी द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जो कि प्रस्तुत रिकार्ड [illegible] स्पष्ट होता है। अत: मंदिर मूर्ति [illegible] हुए अपूरणीय क्षति [illegible] पक्ष में साबित नही होता है। [illegible] निषेधाज्ञा जारी किये जाने की स्थिति में मंदिर मूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 16:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

की सेवा पूजा, ग्राम वासियान की धार्मिक भावनाओं तथा मंदिर के रखरखाव की व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाऐं होगी। अतः मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षा के लिए सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विपरीत पक्ष में प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:33:24 IST
Reason: SelfAttested